कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर के विज्ञापित पद कार्यक्रम सहायक(कम्प्यूटर) (Programme Assistant-Computer/T-4) हेतु सामान्य निर्देश इस प्रकार से हैः–

1. **आवेदन प्रकिया**ः–उपर्युक्त विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किये जा सकेंगे, जिसका प्रारूप कृषि विज्ञान केन्द्र, सरदारशहर की वेबसाइट पर उपलब्ध है । इस हेतु आवेदन शुल्क केवल डी.डी. के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा ।

2. सफेद(ए–4 साईज) कागज पर पूर्ण रूप से भरे हुए अथवा टाईप किये गये आवेद पत्र शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट सहित जो कि कार्यालय में **दिनांक 5.10.2023 को सांय 5.00 बजे तक** अवश्य पहुॅच जाने चाहिए ।

3. **वेतनमान**ः उपर्युक्त विज्ञापित पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिवीक्षाकालीन/प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी । **कार्यक्रम सहायक–कम्प्यूटर** (Programme Assistant-Computer/T-4) Pay Band-2 (Rs. 9300-34800+GP Rs. 4200)

4. **पद की आवश्यक अनिवार्य एवं वॉछनीय योग्यताएॅ व पात्रताः निम्नानुसार है** ः
   अनिवार्य योग्यताएॅ– **Essential Qualification:** Bachelor's degree in Agriculture or any other branch of science/social science relevant to agriculture or equivalent qualifications from a recognized University
   वॉछनीय योग्यताएॅः Desirable: 1) 3 years' experience in computer programme (Multimedia, Desktop Publication, MS Office, Project Report Writing, IT Skill and Short Movie Video Making)
   2) Bachelors Degree/Graduation in Computer Application (BCA)

5. **आवेदन करने सम्बंधी/आवेदको हेतु महत्वपूर्ण निर्देशः**
   –अभ्यर्थी भारतीय नागरिक ही हो ।
   –अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपना स्थायी व पत्राचार पता, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई डी आवश्यक रूप से सावधानी पूर्वक एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए । जिससे आगामी पत्राचार में दुविधा न हो ।
   –आवेदन पत्र प्राप्त करने की अतिम दिनांक 05.10.2023 समय सांय 5.00 बजे तक है । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र रद्द माने जायेगें तथा उन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा । डाक विलम्ब की जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केन्द्र की नहीं होगी ।

6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन केन्द्र की वेबसाईट www.churu1.kvk2.in पर उपलब्ध विज्ञप्ति में वर्णित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए । कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वंय आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

7. **परीक्षा शुल्क** ः आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।
   अ–सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु रू. 1000/–होगा ।
   ब–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु रू. 500/–होगा ।

8. **आयु सीमा**ः उपर्युक्त विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष है ।
   –विज्ञापित पद के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसार देय होगी ।जिस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जो कि छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए ।

9. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में ''**कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यक्रम सहायक(कम्प्यूटर) पद हेतु आवेदन पत्र**'' लिखा हुआ/अंकित होना चाहिये ।

10. विज्ञप्ति के संबंध में संशोधन, अगर कोई हो तथा भर्ती संबंधी अन्य सूचना/विवरण को कृषि विज्ञान केन्द्र की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा । अभ्यर्थी नियमित रूप से केन्द्र की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

11. अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के समुचित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित पठनीय प्रतिलिपियॉ संलग्न करनी होगी तथा इन्हे कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा मांगे जाने पर मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।

12. अभ्यर्थी राज.राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रमाण पत्र छःमाह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

13. आवेदक को विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत करना होगा ।

14. उपर्युक्त पद पर भर्ती के लिये उम्मीदवार का अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थय का होना चाहिए ।

15. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक बार आवेदन शुल्क जमा करवा दिये जाने के बाद यह किसी भी परिस्थिति में लौटाया (Refund) नहीं जायेगा/वापिस देय नहीं होगा ।

16. आवेदक द्वारा अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने से ही किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है । प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा पदों की संख्या के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है और सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हो तो यह अधिकार है कि ऐसे आवेदन पत्रों की छंटनी (Screening) उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर की जा सकती है ।

17. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर ही पात्रता(आयु,योग्यता,श्रेणी) की जॉच की जायेगी । यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

18. किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे ।

19. इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्त/चयन हेतु किसी प्रकार की सिफारिश/दबाब की स्थिति में अभ्यर्थी को निरर्हित (Disqualify) कर दिया जायेगा ।

20. ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती । परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक की पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहॉ बच्चों की कुल संख्या गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जावेगा ।

21. यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड/आयोग से अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के कारण भविष्य की परीक्षाओं के लिए/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debarred) किया गया हो तो उसे कृषि विज्ञान केन्द, गांधी विद्या मंदिर द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

22. कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर में किसी योजना/स्कीम/परियोजना/प्लान के पद उस योजना/स्कीम/परियोजना/प्लान के समाप्त होने के साथ स्वतः समाप्त माने जावेंगे तथा उन पदो ंके विरूद्व चयनित अभ्यर्थी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

23. गांधी विद्या मंदिर/भारत सरकार/आईसीएआर के समय–समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान उक्त नियुक्ति पर लागू होंगे ।

24. पूर्व से राजकीय सेवा में नियोजित अभ्यर्थी नियत तिथि के भीतर आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।

25. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर यहॉ तक कि नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात भी, अभ्यर्थी को प्रदत/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर को निहित होगा ।